सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 857 राँची, शुक्रवार, 18 अक्टूबर, 2019 (ई०)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची**

---

संकल्प

15 अक्टूबर, 2019

**संख्या-5/आरोप-1-342/2014-26125 (HRMS)**-- श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-733/03, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा, लातेहार के विरूद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-977/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 15.05.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

(i) प्रखण्ड चंदवा अन्तर्गत योजना संख्या-12/2005-16 (चंदवा मेन रोड से पेट्रोल पम्प होते हुए चेकनाका तक पी०सी०सी० पथ निर्माण) का मूल अभिलेख जिस पर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के अंकेक्षण दल द्वारा जाँच की गई है, जो प्रखण्ड कार्यालय से गायब है। इस संबंध में तत्कालीन पंचायत सेवक श्री उमाशंकर सिंह, चंदवा ने लिखित रूप बयान दिया कि उक्त योजना का मूल अभिलेख उनके द्वारा आपको (तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा श्रीमती ज्योत्सना सिंह को) हस्तगत करा दिया गया था। प्रखण्ड में छाया अभिलेख ही उपलब्ध था, जिस पर वित्त विभाग का अंकेक्षण दल द्वारा जाँच किया गया है।

(ii) SGRY 20% के सहायक रोकड़ पंजी जो दिनांक 20.03.2003 से संधारित है के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस योजना में विभिन्न तिथियों को आपके द्वारा भुगतान किया गया। उपर्युक्त सहायक

रोकड़पंजी में इस योजना में कुल नगद सीमेंट एवं गेहूँ को मिलाकर 16,03,199.45 (सोलह लाख तीन हजार एक सौ निनानबें रू0 पैतालीस पैसा) का भुगतान किया गया है। सहायक रोकड़ पंजी के पृष्ठ संख्या 154, 156 एवं 157 में बाद में लाल स्याही से आपके द्वारा नोट Note Paid अंकित किया गया है। जबकि छाया अभिलेख के आदेश फलक में अभिश्रव में भुगतान प्राप्ति का हस्ताक्षर है। आपके द्वारा यह अंकित किया गया है कि इन सभी का प्रविष्टि दिनांक 31.03.2006 के सहायक रोकड़पंजी के प्राप्ति शीर्ष में कर दी गई है, परन्तु दिनांक 31.03.2006 के सहायक एवं सामान्य पंजी के अवलोकन से यह पाया गया कि आपके द्वारा सहायक रोकड़पंजी में हस्ताक्षर करने के उपरांत नीचे लाल स्याही से कुल 5,30,939.15 (पाँच लाख तीस हजार नौ सौ उनचालीस रू० पन्द्रह पैसे) की प्रविष्टि की गई, परन्तु इसमें जोड़ में कोई अन्तर नहीं किया गया। आपके द्वारा नीचे की गई प्रविष्टि को महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा अपनी पेसिंल से काट दिया गया है एवं वित्त विभाग के अंकेक्षण दल के द्वारा हरी पेसिंल से घेर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अंकेक्षण दल ने आपके द्वारा बाद में की गई प्रविष्टि को नहीं माना है। रोकड़पंजी के अनुसार अभिकर्त्ता को कुल 10,00,000.00 (दस लाख) रू0 का भुगतान किया गया जबकि छाया अभिलेख में 2,70,000.00 रू० (दो लाख सत्तर हजार) की प्रविष्टि की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि मूल अभिलेख एवं सहायक/समान्य रोकड़पंजी में आपके द्वारा छेड़छाड़ की गयी है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-6518, दिनांक-25.05.2017 द्वारा श्रीमती सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-35, दिनांक-07.02.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत् इनकी तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड के आलोक में विभागीय पत्रांक-8482, दिनांक 22.11.2018 एवं पत्रांक-2896, दिनांक 05.04.2019 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती सिंह के पत्रांक-354, दिनांक 24.05.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्रीमती सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं-

(क) उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-977, दिनांक 15.05.2017 द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र-'क' पर मुझसे प्रथम कारण पृच्छा नहीं पूछा गया। सीधे दण्ड गठित कर द्वितीय कारण पृच्छा की गई, इस कारण पूर्व में मुझे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया और सीधे विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

समीक्षा:-उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1079/वि० दिनांक 31.07.2008 द्वारा प्रखण्ड चंदवा में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अभिलेख संख्या-12/2005-06 (चंदवा चेकनाका से मेन रोड पेट्रोल पम्प तक पी०सी०सी० पथ निर्माण योजना) में महालेखाकार, झारखण्ड के अंकेक्षण दल द्वारा 5.16 लाख रू० का गबन का मामला संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-9750, दिनांक 24.08.2012 द्वारा श्रीमती सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गई है एवं उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-977, दिनांक 15.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र-'क' में भी मुख्यतः वही आरोप श्रीमती सिंह के विरूद्ध गठित किया गया है। अतः श्रीमती सिंह का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(ख) उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1079/वि०, दिनांक 31.07.2008 के आधार पर नौ वर्षों के बाद उक्त पत्र का अनुपालन करने के लिए आरोप पत्र प्रपत्र-'क' का गठन पत्रांक-977, दिनांक 15.05.2017 के द्वारा गठित किया गया है।

समीक्षा:-प्रपत्र-'क' के गठन की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए श्रीमती सिंह का कथन अस्वीकार्य है।

(ग) महालेखाकार, झारखण्ड के अंकेक्षण दल के द्वारा चंदवा प्रखण्ड का अंकेक्षण दिनांक 01.04.2002 से 31.12.2006 तक का दिनांक 15.01.2007 से दिनांक 29.01.2007 के बीच नौ कार्य दिवस में किया गया था। महालेखाकार के द्वारा test audit में चंदवा प्रखण्ड में SGRY मद योजना संख्या-12/2005-06 चंदवा मेनरोड से पेट्रोल पम्प होते हुए चेकनाका तक पी०सी०सी० पथ निर्माण में 5.16 लाख रु० अधिक राशि पर आपत्ति दर्शाया गया। चूँकि महालेखाकार अंकेक्षण दल के द्वारा दिनांक 31.12.2006 तक का ही अंकेक्षण किया गया और वर्णित आपत्ति का प्रविष्टि दिनांक 22.01.2007 का प्रविष्ट कर त्रुटि का सुधार किया गया। दिनांक 22.01.2007 की तिथि को सामान्य रोकड़ पंजी की अंतशेष राशि एवं बैंक विवरणी में कोई अंतर नहीं था।

समीक्षा:-योजना संख्या-12/2005-06 (चंदवा मेनरोड से पेट्रोल पम्प होते हुए चेकनाका तक पी०सी०सी० पथ निर्माण) की प्राक्कलित राशि 11.46 लाख के विरूद्ध उक्त योजना में लगभग 5.98 लाख की राशि का अधिक भुगतान किया गया एवं महालेखाकार द्वारा मामला प्रकाश में लाने के बाद उक्त राशि को 15 माह बाद दिनांक 21.01.2007 को रोकड़ पंजी में प्राप्ति के रूप में दिखाया गया है। अतः यह राशि के अस्थायी गबन का मामला बनता है।

(घ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पत्रांक-294 दिनांक 27.07.2007 में द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड के अंकेक्षण दल के द्वारा उठायी गई आपत्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रतिवेदित है तथा उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-85/गो० दिनांक 20.12.2007 के जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट मंतव्य है कि उक्त उल्लेखित योजना में प्राक्कलित से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

समीक्षा:-प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक-294, दिनांक 27.07.2007 में संबंधित योजना में दिनांक 21.01.2007 को 530939=15 रू० के समायोजन की बात भी अंकित की गई है। यदि योजना में अधिक भुगतान नहीं किया गया तो फिर समायोजन क्यों किया गया है। उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-85/गो०, दिनांक 20.12.2007 द्वारा स्थापना उप समाहर्त्ता, लातेहार को प्रेषित प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा के पत्र सं०-543 दिनांक 19.12.2007 के आधार पर प्रेषित किया गया है। प्रंखड विकास पदाधिकारी, चंदवा के उक्त पत्र में उल्लेखित किया गया है कि रोकड़ पंजी एवं योजना पंजी के अनुसार विभिन्न तिथियों को चेक के माध्यम से अभिकर्त्ता को राशि एवं सीमेंट का भुगतान किया गया है, जबकि वित्त अंकेक्षण विभाग के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त योजना में सामग्री के अतिरिक्त नकद भुगतान 11.05 लाख रू० में सिर्फ 3.3 लाख राशि का भुगतान चेक द्वारा एवं शेष राशि नकद भुगतान की गई है एवं इस तथ्य की पुष्टि योजना अभिलेखों एवं अभिश्रवों की छायाप्रति से हुई है। इसके अतिरिक्त श्रीमती सिंह पर राशि के गबन के स्थान पर अस्थायी गबन का मामला प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा वित्त (अंकेक्षण) विभाग के निरीक्षण टिप्पणी में प्रतिवेदित "लिपिकीय भूल" के तथ्य से असहमति प्रतिवेदित की गई है।

(ङ) गठित आरोप पत्र प्रपत्र-'क' में सीधे-साधे मुझे रोकड़ पंजी तथा अभिश्रव में छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया गया है, जबकि रोकड़ पंजी का संधारण नाजीर के द्वारा किया जाता है एवं नाजीर के द्वारा रोकड़ पंजी संधारण करने में अनेक त्रुटि की गई थी।

समीक्षा:-रोकड़ पंजी के संधारण में गड़बड़ी हेतु नाजीर एवं कार्यालय प्रधान तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होने के नाते श्रीमती सिंह समान रूप से दोषी प्रतीत होते हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती सिंह को झारखण्ड कोषागार संहिता (प्रथम खंड) के नियम-86(ii) ,(iii) एवं (iv) में प्रावधानित नियमों का अनुपालन नहीं करने का दोषी पाया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | JYOTSANA SINGH BHR/BAS/3469 | श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा०प्र०से०, के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 857 -- 50